स्पीड पोस्ट संख्या-6/एफ1-303/16 श्र0सं0 142

आवंटनादेश

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,

श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

सहायक श्रमायुक्त, बेतिया ।

श्रम अधीक्षक,बक्सर/भोजपुर(आरा)-01/समस्तीपुर-01/

जहानाबाद/अरवल/नालन्दा(बिहारशरीफ)-01।

पटना, दिनांक:- 23.1.17

विषय:- **(क)** मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01श्रम-103 सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-पी 2230011030101) एवं **(ख)** मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-पी 2230017890101) के अन्तर्गत निधि का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2139 दिनांक-17.05.16 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में एक दिन का प्रशिक्षण शिविर के आयोजन हेतु निधि का समेकित आवंटन संलग्न अनुसूची-I के अनुसार किया जाता है ।

2. उक्त **प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 06 फरवरी 2017 तक** निश्चित रूप से कर ली जाय।

3. इस शिविर का नाम ''श्रम अधिकार दिवस'' होगा ।

4. यह आवंटन **व्यय शीर्ष (क)** के अन्तर्गत **कार्यालय व्यय इकाई 1301** में ₹ 1,64,406/-एवं **कान्फ्रेन्स कार्यशाला, सेमिनार इकाई 2002** में ₹ 3,20,310/- अर्थात कुल आवंटित राशि ₹ 4,84,716/- (₹ चार लाख चौरासी हजार सात सौ सोलह) तथा **(ख)** के अन्तर्गत **कार्यालय व्यय इकाई 1301** में ₹ 71,162/-एवं **कान्फ्रेन्स कार्यशाला, सेमिनार इकाई 2002** में ₹ 1,37,030/- अर्थात कुल आवंटित राशि ₹ 2,08,192/- (₹ दो लाख आठ हजार एक सौ बानवे) मात्र । **इस प्रकार (क)+(ख)** के अन्तर्गत **कुल आवंटित राशि ₹ 6,92,908/-** (₹ छः लाख बानवे हजार नौ सौ आठ) मात्र वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि0 दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।

5. अनुसूची की कंडिका (ख) में अंकित व्यय शीर्ष में कुल मजदूरों की संख्या का 30% अनुसूचित जाति के मजदूरों के लिए आवंटन दिया गया है । अगर अनुसूचित जाति के मजदूरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका भुगतान अनुसूची की कंडिका (क) में उल्लिखित उप शीर्ष में आवंटित राशि से किया जायेगा।

6. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

7. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्व निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।

8. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

9. आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँच कर नियमानुसार ही की जाय ।

10. विभागीय अधिसूचना सं.-3965 दिनांक-16.09.16 के निर्गत हो जाने के कारण संबंधित जिला कार्यालयों द्वारा पूर्व में आवंटित राशि के प्रत्यार्पण कर दिये जाने के कारण उक्त राशि को पुनः आवंटित किया जा रहा है।

विश्वासभाजन,

20/01/17

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांकः-6/एफ1-303/16 श्र0सं0- 142 पटना, दिनांक 23.1.17

प्रतिलिपिः-अनुलग्नक सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/01/17

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांकः 6/एफ1-303/16 श्र0सं0- 142 पटना, दिनांक 23.1.17

*स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपिः- अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी /<u>***संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी**</u>/ निदेशक कृषि श्रमिक, बिहार, पटना /प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/प्रशाखा-5, श्रम पक्ष/प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6,श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/01/17

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांकः 6/एफ1-303/16 श्र0सं0- 142 पटना, दिनांक 23.1.17

प्रतिलिपिः- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को बेवसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

20/01/17

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।